In the Court of District & Addl. Sessions Judge-I Cum Spl Judge, Araria
Name of the P.O.-Sri Shashi Bhushan Kumar
Spl. SC/ST R No.- 11/2024
Narpatganj PS Case No.-517/2022
CIS No.-11/2024
(State Vs. Bikesh Kumar Mandal @ Vikas Kumar Mandal)

FORM-A

न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम सह विशेष न्यायाधीश, अररिया। उपस्थितः—शशि भूषण कुमार, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम सह विशेष न्यायाधीश, अररिया। निर्णय की तिथि — 25.06.2026 विशेष एससी/एसटी वाद संख्या—11/2024 नरपतगंज थाना काण्ड संख्या—517/2022 सी0आई0एस0 संख्या—11/2024 अन्तर्गत धारा 341, 323, 498(A), 494 भा0द0वि0, 03 दहेज प्रतिषेध अधिनियम एवं 3(i)(r), 3(2)(va) SC/ST Act. अंकित किया गया।

सूचिका	राज्य (द्वारा लीलू कुमारी) पिता—सहदेव पासवान पता—तामगंज वार्ड नं0 02 थाना नरपतगंज जिला—अररिया।
प्रतिनिधित्व राज्य के तरफ से	श्री कलानंद राम, विद्वान विशेष लोक अभियोजक।
अभियुक्त	1.बिकेश कुमार मंडल उर्फ विकास कुमार मंडल
प्रतिरक्षा पक्ष की तरफ से अधिवक्ता	श्री सुनील कुमार झा सुमन, विद्वान अधिवक्ता।

FORM-B

अपराध की तिथि	09.11.2022
प्राथमिकी की तिथि	21.11.2022
आरोप पत्र की तिथि	01.10.2023
आरोप गठन की तिथि	06.10.2025
साक्ष्य प्रारंभ की तिथि	26.11.2025
निर्णय हेतु तिथि निर्धारण	25.06.2026
निर्णय की तिथि	25.06.2026
सजा की तिथि, यदि कोई हो	—

In the Court of District & Addl. Sessions Judge-I Cum Spl Judge, Araria
Name of the P.O.-Sri Shashi Bhushan Kumar
Spl. SC/ST R No.- 11/2024
Narpatganj PS Case No.-517/2022
CIS No.-11/2024
(State Vs. Bikesh Kumar Mandal @ Vikas Kumar Mandal)

अभियुक्त का विवरण

अभियुक्त का रैंक	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी / आत्सर्मपण की तिथि	जमानत की तिथि	आरोप गठित धारा	रिहाई / सजा	सजा दी गयी	Period of detention undergone during trial for purpose of Section 428 Cr.P.C .
01.	बिकेश कुमार मंडल उर्फ विकास कुमार मंडल	01.09.2023	01.09.2023	341, 323, 498A, 494 भा0द0वि0, 03 दहेज प्रतिषेध अधिनियम एवं 3(i)(r), 3(2)(va) SC/ST Act.	दोषमुक्त	–	–

FORM-C

अभियोजन / प्रतिरक्षा / न्यायालय साक्षीगण की सूचीः–

A. अभियोजन

रैंक	नाम	साक्षी की प्रकृति
01.	सहदेव पासवान	सूचिका का पिता
02.	लीलू कुमारी	सूचिका

B. प्रतिरक्षा साक्षी यदि कोई होः–

रैंक	नाम	साक्षी की प्रकृति
	शून्य	–

C. न्यायालय साक्षी यदि कोई होः– लागू नहीं।

रैंक	नाम	साक्षी की प्रकृति
	शून्य	–

अभियोजन / प्रतिरक्षा / न्यायालय प्रदर्शों की सूचीः–

A. अभियोजन

क्र0सं0	प्रदर्श संख्या	विवरण
01.	शून्य	–

B. प्रतिरक्षा साक्ष्य, यदि कोई होः– लागू नहीं।

क्र0सं0	प्रदर्श संख्या	विवरण
01.	शून्य	–

C. न्यायालय साक्ष्य, यदि कोई होः– लागू नहीं।

क्र0सं0	प्रदर्श संख्या	विवरण
01.	शून्य	–

D. वस्तु प्रदर्श साक्ष्य– लागू नहीं।

क्र0सं0	वस्तु प्रदर्श संख्या	विवरण
01.	शून्य	–

निर्णय

1.उपरोक्त अभियुक्त के विरूद्ध दिनांक–06.10.20254 को धारा 341, 323, 498A, 494 भा0द0वि0, 03 दहेज प्रतिषेध अधिनियम एवं 3(i)(r), 3(2)(va) SC/ST Act. के अंतर्गत आरोपों का गठन कर इसकी व्याख्या हिन्दी में पढ़कर सुनाया वो समझाया गया, जिसे अभियुक्त इंकार किये और अपने को निर्दोष बताते हुए विचारण किये जाने का दावा किये।

2.सूचिका लीलू कुमारी के लिखित आवेदन के अनुसार संक्षेप में अभियोजन कथानक यह है कि अभियुक्त विकेश कुमार मंडल सूचिका को शादी का झॉसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया था। जब इसकी जानकारी सूचिका के परिजनों को लगा तो वे लोग इस संबंध में अभियुक्त के परिजनों से पूछताछ किए, तो वे लोग जाति सूचक गाली–गलौज करना शुरू कर दिए। इसके बाद सूचिका थाना आकर मुकदमा की, जिसके बाद अभियुक्त ने सूचिका को दिनांक 25.04.2018 को अररिया न्यायालय ले गया और कोर्ट मैरेज शादी किया। शादी के बाद सूचिका ससुराल अपने पति के साथ जीवन बसर करने लगी। इसी दरम्यान उसे एक पुत्री का जन्म हुआ, कुछ ही दिनों बाद उसकी पुत्री की मृत्यु हो गई। पुनः सूचिका को एक पुत्री हुई, जिसकी उम्र लगभग 01 वर्ष है। सूचिका जो एस0सी0/एस0टी केस की थी, उसके मुआवजा उसके नाम से साढ़े चार लाख रूपया सरकार के तरफ से मिला, सारा रूपया अभियुक्त एवं उसके माता–पिता ले लिए तथा रूपया लेने के बाद सूचिका को दहेज के लिए प्रताड़ना शुरू कर दिए तथा दिनांक 09.11.2022 को समय दस बजे नजायज मजमा बनाकर प्राथमिकी नामित अभियुक्तगण ने सूचिका को बुरी तरह मारपीट किया तथा जाति सूचक शब्द लगा कर गाली–गलौज करते हुए उसकी एक वर्षीय बच्ची को धीरेन्द्र मंडल छीन लिया और जान मारने की नियत से उठाकर पटक दिया। दिनांक 10.11.2022 को अभियुक्त ने दूसरा शादी कर लिया।

3.सूचिका लीलू कुमारी के लिखित आवेदन के आधार पर नरपतगंज थाना कांड संख्या– 517/2022 पंजीकृत कर औपचारिक प्राथमिकी दर्ज की गई। अनुसंधानकर्ता ने अनुसंधान के क्रम में घटना को सत्य पाकर अभियुक्त के विरूद्ध धारा 341, 323, 498(A), 494 भा0द0वि0, 03 दहेज प्रतिषेध अधिनियम एवं 3(i)(r), 3(2)(va) SC/ST Act. के अन्तर्गत दिनांक–01.10.2023 को आरोप पत्र समर्पित किया, तदुपरांत अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध दिनांक 10.01.2024 को धारा 341, 323, 498(A), 494 भा0द0वि0, 03 दहेज प्रतिषेध अधिनियम एवं 3(i)(r), 3(2)(va) SC/ST Act. के अन्तर्गत दंण्डनीय अपराध का संज्ञान लिया गया।

4.पुलिस कागजात की आपूर्ति के पश्चात् अपराध सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय होने के आधार पर वाद में विचारण चला।

5. मैं पाता हूँ कि अभियुक्त के विरूद्ध दिनांक–06.10.2025 को आरोपों का गठन किया गया। अभियोजन पक्ष का साक्ष्य बंद होने के पश्चात् दिनांक–18.06.2026 को अभियुक्त का बयान अधीन धारा–313 दंड प्रक्रिया संहिता में अभिलिखित किया गया, जिसमें अभियुक्तों ने आरोप को गलत बताते हुए स्वयं को निर्दोष बताया है।

अवधारण के लिए बिन्दु
(POINT FOR DETERMINATION)

6.अब इस न्यायालय के समक्ष अवधार्य प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध गठित आरोप अधीन धारा 341, 323, 498A, 494 भा0द0वि0, 03 दहेज प्रतिषेध अधिनियम एवं 3(i)(r), 3(2)(va) SC/ST Act. को सभी तर्कसंगत एवं उचित शंकाओं से परे साबित करने में पूर्णतया सफल रहे है ?

चर्चा, निर्णय और उसके कारण
(DISCUSSION, DECISION AND REASONS THEREON)

7.अभियोजन पक्ष के द्वारा अभियुक्तों के विरूद्ध गठित आरोपों के समर्थन में कुल दो साक्षी को परीक्षित कराया गया है तथा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में कोई प्रदर्श नहीं कराया गया है।

8.बचाव पक्ष के द्वारा अपने बचाव में किसी भी सफाई साक्षी का साक्ष्य व सबूत न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है। अब मैं अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत किये गये अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य का विश्लेषण कर देखते हैं कि अभियोजनपक्ष अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को युक्ति–युक्त संदेहों से परे कहां तक साबित किया है?

9.वाद विवेचन के क्रम में अभियोजन साक्षी सं0–01 सहदेव पासवान है, जो इस वाद की सूचिका के पिता है, के साक्ष्य का विवेचन करना न्यायसंगत प्रतीत होता है। इस साक्षी ने अपने साक्ष्य के क्रम में मुख्य परीक्षण के कंडिका 01 में कहा है कि यह केस लीलु कुमारी की है। चन्देश्वरी मंडल, विकेश मंडल, रूपेश मंडल, मुकेश मंडल सहित कुल छह आदमी पर यह केस की है। यह घटना करीब चार साल पहले की दिन के करीब 10 बजे की है। बिकेश मंडल नें मेरी बेटी नीलु कुमारी से शादी कर लिया। इसके बाद वह छुआछूत मानने लगा और मेरी बेटी को घर में रखने से इंकार कर दिया। तब से मेरी बेटी मेरे साथ ही रहती है। मेरी बेटी के साथ मारपीट किया तथा घर से भगा दिया। कंडिका 02 में कहा है कि पुलिस मेरा बयान ली थी। कंडिका 03 में कहा है कि सभी अभियुक्तों को पहचानता हूं, आज न्यायालय में उपस्थित नहीं है। इस साक्षी ने अपने प्रति परीक्षण के कंडिका 04 में कहा है कि बिकेश दिल्ली में रह रहा है। बिकेश दूसरी शादी कर लिया है। मेरी बेटी को बिकेश से एक बच्चा भी है। इस केस में सुलह के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। अभियोजन साक्षी सं0–02 लीलू कुमारी है, जो कि इस वाद की सूचिका है, ने अपने मुख्य परीक्षण के कंडिका 01 में कही है कि यह केस मैंने विकेश कुमार मंडल, चंदेश्वरी मंडल, धीरेन्द्र मंडल, रूपेश कुमार मंडल, मीरा देवी कुल छह व्यक्ति पर किया है। घटना 2018 की है, समय 12 बजे दिन की है। कंडिका 02 में कही है कि अभियुक्तगण दहेज मांग रहा था और दहेज पूरा नहीं होने पर अभुयिक्त्गण गाली–गलौज दिया तथा मारपीट किया एवं मेरा पति दूसरा शादी कर लिया। थाना में जाकर केस किये। कंडिका 03 में कही है कि आवेदन थाना के मुंशी से लिखवाये। आवेदन पर मेरा छाप है। पुलिस में मेरा बयान हुआ था। आज न्यायालय में विकेश कुमार मंडल उपस्थित है, पहचानती हूं। अन्य को देखकर पहचान लूंगी। इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण बचाव पक्ष के कंडिका 04 में कही है कि मैं अपने पति के साथ ही प्रेम पूर्वक रहती हूं। किसी प्रकार का कोई शिकायत शिकवा नहीं है। अच्छी तरह से देखभाल करते हैं। मुकदमा को समाप्त कर दिया जाए तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आज मैं अपने पति के साथ गवाही देने आयी हूं। मेरे साथ कोई गाली–गलौज नहीं किया गया था। प्राथमिकी में क्या लिखा गया था, मुझे पढ़कर नहीं सुनाया गया था। मैं पढ़ी–लिखी नहीं हूं।

10.बचाव पक्ष की तरफ से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्क में यह कहा है कि अभियोजन अभियुक्त पर लगाये गये आरोपों को युक्ति–युक्त संदेहों से परे साबित करने में असफल रहा है, क्योंकि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों ने अपने परीक्षण में प्राथमिकी में लगाये गये आरोपों का बिल्कुल समर्थन नहीं किये है। अतः विचारण के अभियुक्त को प्रस्तुत मामले में दोषमुक्त किया जाय।

11.अभियोजन पक्ष की ओर से अपने बहस के क्रम में यह निवेदन किया गया कि अभियोजन पक्ष की ओर से कुल दो साक्षियों को परीक्षित कराया गया है, जिन्होंने अपने साक्ष्य में अभियोजन कथानक का समर्थन किया है। अतः अभियोजन पक्ष अपने अभियोजन मामले को साबित करने में सफल रहा है।

12.उपरोक्त साक्षियों के साक्ष्य विश्लेषण करने के उपरांत मैं पाता हूँ कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत अभियोजन साक्षी सं0–01 सहदेव पासवान है, जो इस वाद की सूचिका के पिता है, के साक्ष्य का

प्रथमतः विवेचन करना न्यायसंगत प्रतीत होता है। इसने अपने मुख्य परीक्षण में तथाकथित घटना के संबंध में कथन किया है कि यह केस लीलू कुमारी की है। चन्देश्वरी मंडल, विकेश मंडल, रूपेश मंडल, मुकेश मंडल सहित कुल छह आदमी पर यह केस की है। यह घटना करीब चार साल पहले की दिन के करीब 10 बजे की है। बिकेश मंडल नें मेरी बेटी लीलू कुमारी से शादी कर लिया। इसके बाद वह छुआछूत मानने लगा और मेरी बेटी को घर में रखने से इंकार कर दिया। तब से मेरी बेटी मेरे साथ ही रहती है। मेरी बेटी के साथ मारपीट किया तथा घर से भगा दिया। पुलिस मेरा बयान ली थी। सभी अभियुक्तों को पहचानता हूं, आज न्यायालय में उपस्थित नहीं है। जबकि इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षण के क्रम में कथन किया है कि बिकेश दिल्ली में रह रहा है। बिकेश दूसरी शादी कर लिया है। मेरी बेटी को बिकेश से एक बच्चा भी है। इस केस में सुलह के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। अभियोजन साक्षी सं0–02 लीलू कुमारी है, जो कि इस वाद की सूचिका है, इसने अपने मुख्य परीक्षण में तथाकथित घटना के संबंध में कथन की है कि यह केस मैंने विकेश कुमार मंडल, चंदेश्वरी मंडल, धीरेन्द्र मंडल, रूपेश कुमार मंडल, मीरा देवी कुल छह व्यक्ति पर किया है। घटना 2018 की है, समय 12 बजे दिन की है। अभियुक्तगण दहेज मांग रहा था और दहेज पूरा नहीं होने पर अभुयिक्त्गण गाली–गलौज दिया तथा मारपीट किया एवं मेरा पति दूसरा शादी कर लिया। थाना में जाकर केस किये। आवेदन थाना के मुंशी से लिखवाये। आवेदन पर मेरा छाप है। पुलिस में मेरा बयान हुआ था। आज न्यायालय में विकेश कुमार मंडल उपस्थित है, पहचानती हूं। अन्य को देखकर पहचान लूंगी। जबकि इस साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षण में तथाकथित घटना के संबंध में कथन की है कि मैं अपने पति के साथ ही प्रेम पूर्वक रहती हूं। किसी प्रकार का कोई शिकायत शिकवा नहीं है। अच्छी तरह से देखभाल करते हैं। मुकदमा को समाप्त कर दिया जाए तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आज मैं अपने पति के साथ गवाही देने आयी हूं। मेरे साथ कोई गाली–गलौज नहीं किया गया था। प्राथमिकी में क्या लिखा गया था, मुझे पढ़कर नहीं सुनाया गया था। मैं पढ़ी–लिखी नहीं हूं। अभियोजन द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत कराये गये साक्षियों ने तथाकथित घटना का पूर्णतः समर्थन नहीं किये हैं। साक्षी सूचिका ने अपने साक्ष्य में अपने पति के साथ ही प्रेम पूर्वक से रहने तथा अपने पति से कोई शिकवा शिकायत नहीं है, की बात को स्वीकार किया है। मुकदमा को समाप्त कर दिया जाए तो उसे कोई आपत्ति नहीं है। इन साक्षी के साक्ष्य से प्राथमिकी का पूर्ण सम्पोषण नहीं होता है तथा इनके मुख्य परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण में घोर विरोधाभाष है। प्रस्तुत आपराधिक मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अनुसंधानकर्ता व अन्य तात्विक साक्षियों को साक्ष्य हेतु न्यायालय में उपस्थित नहीं कराया जा सका है। जबकि उनकी उपस्थिति हेतु सभी प्रकार की आदेशिकाएं जारी की गयी है। परन्तु अभियोजन पक्ष की ओर से अन्य किसी साक्ष्य को प्रस्तुत नहीं किया जा सका है। अभियोजन पक्ष की ओर से अनुसंधानकर्ता, चिकित्सक तथा अन्य तात्विक साक्षियों का साक्ष्य नहीं कराया गया है, जिससे तथाकथित घटना एवं घटनास्थल साबित नहीं हो पाया है, जो अभियोजन के विरूद्ध है। इस प्रकार से अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के साक्ष्य के आधार पर पूरी घटना संदेहास्पद हो जाती है। मैं पाता हूँ कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्षियों के साक्ष्य से अभियुक्तों के विरूद्ध आरोपित धाराएं युक्ति–युक्त संदेहों से परे साबित नहीं होती है। फलस्वरूप अभियुक्त रिहाई पाने के अधिकारी हैं।

13.उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि अभियुक्त बिकेश कुमार मंडल उर्फ विकास कुमार मंडल के विरूद्ध गठित आरोपों में वर्णित धारा 341, 323, 498A, 494 भा0द0वि0, 03 दहेज प्रतिषेध अधिनियम एवं 3(i)(r), 3(2)(va) SC/ST Act. को गुण–दोषों के आधार पर दोषी न पाते हुए दोष–मुक्त किया जाता है तथा इनके जमानतदारों को भी बंध–पत्र के दायित्वों से भी उन्मोचित किया जाता है।

14.ऊपरिनामित अभियुक्त का जमानत बंधपत्र अधीन धारा 480 बी.एन.एस.एस. के प्रवाधाननुकूल अगले छः मास तक प्रवृत्त रहेगा।

15.निर्णय की एक प्रति विद्वान जिला मजिस्ट्रेट, अररिया को अधीन धारा 365 दं.प्र.सं. में वर्णित प्रावधान के आलोक में अविलम्ब भेजा जाय।

16.निर्णय दिनांकित एवं हस्ताक्षरित किया गया एवं खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

लेखापित एवं शुद्धिकृत

ह0/–

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश,प्रथम
सह–विशेष न्यायाधीश,
अररिया।
दिनांक–25.06.2026

लेखापित

ह0/–

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश,प्रथम
सह–विशेष न्यायाधीश,
अररिया।
दिनांक–25.06.2026